

एक अधिकारी के इस्तीफे और बहाली के नयिम

प्रलिस के लयि:

अखलि भारतीय सेवाएँ, केंद्रीय सतरकता आयोग

मेन्स के लयि:

एक अधिकारी के इस्तीफे और बहाली के नयिम

चरचा में क्यों?

हाल ही में वर्ष 2019 में कश्मीर में "बेरोकटोक" हत्याओं के वरिध में सेवा से इस्तीफा देने वाले [भारतीय प्रशासनिक सेवा \(IAS\)](#) के एक अधिकारी को बहाल कर दिया गया है।

IAS अधिकारियों के इस्तीफे के संबंध में नयिम:

- तीनों अखलि भारतीय सेवाओं में से कसिी एक अधिकारी का इस्तीफा अखलि भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानवृत्तलाभ) नयिम, 1958 के नयिम 5(1) और 5(1)(ए) द्वारा शासति होता है।
 - अखलि भारतीय सेवाओं में शामिल हैं: आईएस, भारतीय पुलसि सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफएस)।
- अन्य केंद्रीय सेवाओं से संबंधति अधिकारियों के इस्तीफे के लयि भी इसी तरह के नयिम हैं।

एक अधिकारी के इस्तीफे का अरथ:

- परचिय:**
 - इस्तीफा एक अधिकारी द्वारा या तो तुरंत या भवषिय में एक नरिदषिट तथि पर उसकी इच्छा से आईएस छोड़ने के प्रस्ताव के बारे में लखिति रूप में एक औपचारिक सूचना है।
 - इस्तीफा स्पष्ट और बनिा शरत होना चाहयि।
 - सेवा से इस्तीफा सरकार की **स्वैच्छकि सेवानवृत्तयोजना (VRS)** को स्वीकार करने से बलिकुल अलग है।
 - VRS लेने वाले पेंशन के हकदार हैं, जबकि इस्तीफा देने वाले नहीं हैं।
- कसिके पास प्रस्तुत (Submit) करे?**
 - राज्य प्रतनियुक्ति के मामले में:
 - राज्य के मुख्य सचवि।
 - यदि केंद्रीय प्रतनियुक्ति का मामला है:
 - संबंधति मंत्रालय या वभिग के सचवि।
 - इसके बाद मंत्रालय/वभिग अपनी सफारशियों के साथ अधिकारी के इस्तीफे को संबंधति राज्य संवरग को अग्रेषति करता है।

इस्तीफा जमा करने के बाद की प्रक्रया:

- राज्य स्तर पर:**
 - राज्य जाँच करता है कि क्या अधिकारी के खलिाफ कोई बकाया (**dues**) तो नहीं है, साथ ही अधिकारी की सतरकता की स्थति या उसके खलिाफ भ्रषटाचार आदि के कोई मामले लंबति हैं या नहीं।
 - यदि ऐसा कोई मामला होता है तो आमतौर पर इस्तीफा खारजि कर दिया जाता है।
- केंद्रीय स्तर पर:**
 - अधिकारी के त्यागपत्र से संबंधति संवरग की अनुशंसा प्राप्त होने के बाद ही सक्षम प्राधिकारी अरथात् केंद्र सरकार द्वारा वचिर कयिा

